# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
## पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 30/2020(2020/00380)

अनवान : –

राजेश कुमार पुत्र हवासिंह जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।

**प्रार्थी**

बनाम

1. रोहताश कुमार पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

**अप्रार्थी**

**प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता**
**अन्तर्गत धारा 8(2) राज0 को0 कन्डीशन सपठित**
**धारा 251ए राजस्थान कास्तकारी अधिनियम**

उपस्थिति :- श्री विनोद पूनियां **प्रार्थी**
श्री उम्मेद मोठसरा **अप्रार्थी**

**निर्णय** दिनांकः 18/11/2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 10 एमएसआर के खाता सं 124/111 के मु0न0 45 के किला न0 1 ता 4 की कुल 1.012 हैक्टेयर नहरी खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी राजेशकुमार के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

प्रार्थी की उक्त खातेदारी के पास चिपते ही अप्रार्थी रोहताश कुमार के नाम चक 10 एमएसआर के खाता संख्या 124/111 के मुरब्बा न0 36 के किला न0 18 ता 24 की कुल 1.770 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 की पहले मुश्तर्का खातेदारी हुआ करती थी प्रार्थी अपनी खातेदारी कृषि भूमि में चक 10 एमएसआर के मु0 न0 36 के किला न0 24 में पूर्वी तरफ उतर से दक्षिणी तरफ चलकर प्रार्थी अपनी खातेदारी चक 10 एमएसआर के मु0 न0 45 के किला न0 4 में प्रवेश करता है। इसके अलावा प्रार्थी का अपने खातेदारी में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता स्वीकृत अथवा चालू नही है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामिल होने के उपरान्त प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी दोनों ने आपसी समहमति से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्रकरण संख्या 30/2020 राजेश कुमार बनाम रोहताश कुमार आदि बाबत रास्ता

विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। राजीनामा के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी की खातेदारी चक 10 एमएसआर के मुरब्बा नम्बर 45 के किला न0 4 में प्रवेश करने के लिए अप्रार्थी की चक 10 एमएसआर के मुरब्बा न0 36 के किला न0 24 में पूर्वी तरफ उत्तर से दक्षिण की ओर आवागमन के लिए 8–1/4 फीट चौड़ा रास्ता दर्ज किया जाकर उक्त रास्ता का अंकन राजस्व रिकॉर्ड, हॉल जमाबन्दी एवं नक्शा में किया जावें। तहसीलदार भादरा के नाम आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18/11/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़